भा.वा.अ.शि.प.
एम.पी.एल.एस. टोपोलॉजी

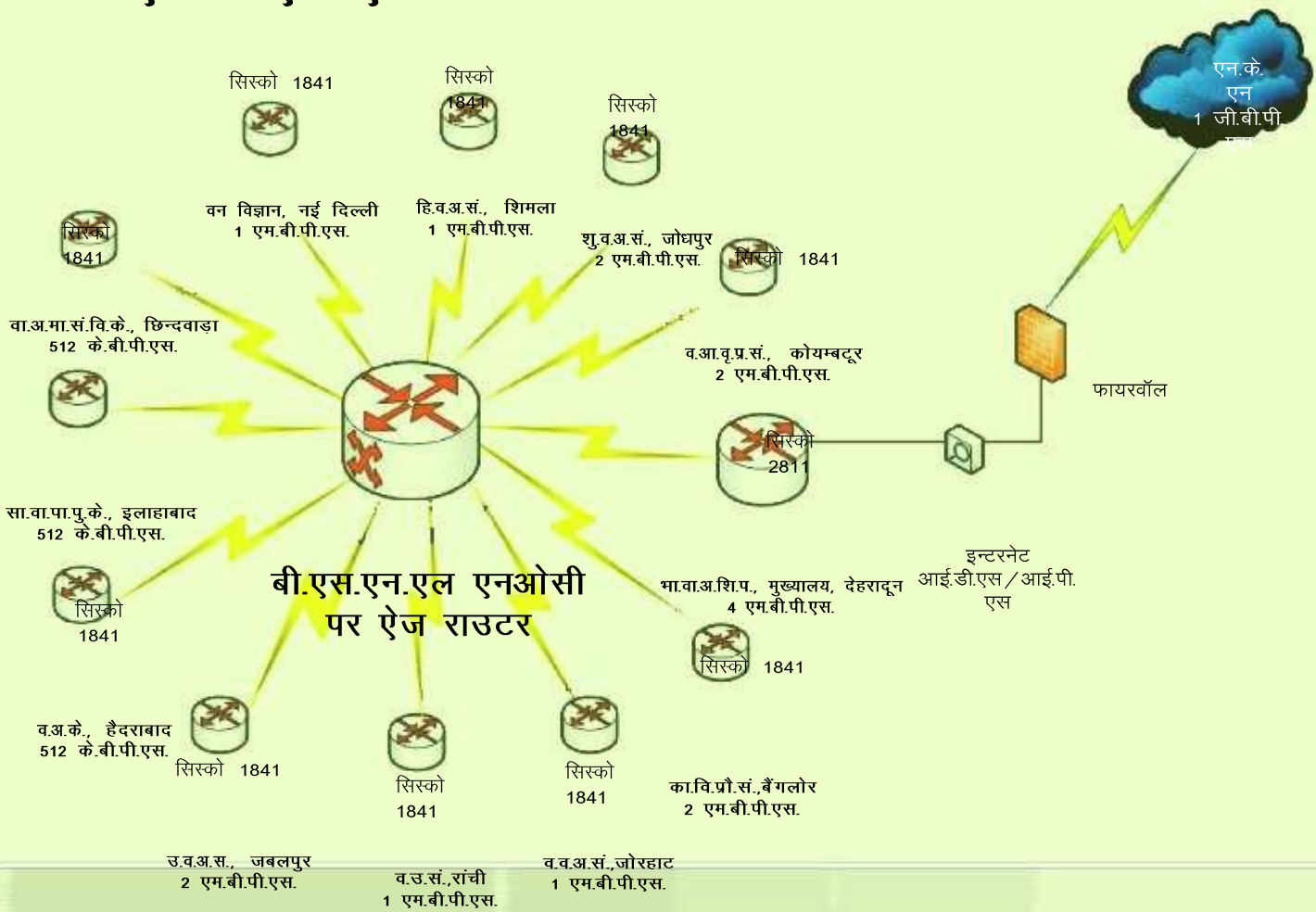

प्रशासन एंव सूचना प्रौद्योगिकी

प्रस्तावना

प्रशासन निदेशालय का कार्य प्रशासनिक संरचना को तैयार और अनुरक्षित करना है जिसके अंतर्गत भा.वा.अ.शि.प. के अन्य क्रियाकलाप संचालित किए जाते हैं। निदेशालय के क्रियाकलापों में शामिल है : बजटिंग, एकाउन्टस, रुपयों का आहरण एवं संवितरण पेंशन संबंधी मामले, भा.वा.अ.शि.प. के भर्ती बोर्ड के जरिए वैज्ञानिकों को भर्ती करना, संविदा आधार पर अन्य मानव संसाधनों का प्रावधान करना, विभिन्न प्रापण और भा.वा.अ.शि.प. के सभी संस्थानों और केंद्रों में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी सेवाएं।

5.1 सूचना प्रौद्योगिकी

आज के विश्व में सूचना प्रौद्योगिकी व्यापक और जरूरी है। जीवन और कार्यों में इसका दखल पहले से कई अधिक बढ़ गया है। भा.वा.अ.शि.प. द्वारा संगठनात्मक क्षमता और उपभोक्ताओं की संतुष्टि बढ़ाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा हस ना प ागको विभाग, भा.वा.अ.शि.प. क प ाासन निदेशालय के तहत काम करते हुए भा.वा.अ.शि.प. मुख्यालय और संस्थानों को सूचना तकनीक की सेवाएं देता है जो पूरे देश में फैले हुए हैं। सूचना तकनीक के मामले में परिवर्तन और प्रगति तेजी से हो रहे हैं जिनसे भा.वा.अ.शि.प. कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है। संगठनात्मक उद्देश्यों को पूरा करना और आधुनिकतम तकनीक को अपनाना भा.वा.अ.शि.प. वर्ष 2010–11 की मुख्य सफलता रही है।

भा.वा.अ.शि.प. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिए गए ई–गवर्नेन्स कार्यक्रम को कार्यान्वित करती है, जिसके तहत सूचना–प्रौद्योगिकी संरचना और क्षमता वृद्धि आते हैं।

भा.वा.अ.शि.प. के कार्यकर्ताओं को नि.प्रे.प्रे.लि. से ऊपर के स्तरों पर संरचनात्मक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दिए गए हैं, वे इस प्रकार है :

क. पी सी और प्रिंटर्स के साथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेड शीट और प्रस्तुतिकारक सॉफ्टवेयर मुहैया कराए गए हैं।

ख. वेबसाइट तक पहुंच बनाई गई है। वेबसाइट द्विभाषी है और भा.वा.अ.शि.प. अपने कर्मचारियों और सामान्य जनता और अपने संस्थानों को अद्यतन सूचनाएं प्रदान करती है।

ग. भा.वा.अ.शि.प. के कार्यकर्ताओं की लोकल एरिया नेटवर्क के जरिए इंटरनेट तक पहुंच कराइ गइ ह जा द ा भर मं स्थित भा.वा.अ.शि.प. के संस्थानों और केंद्रों में वाईड एरिया नेटवर्क के जरिए उपलब्ध है।

घ. भा.वा.अ.शि.प. मुख्यालय के कार्यकर्ताओं के साथ भा.वा.अ.शि.प. के सभी संस्थानों और केंद्रों में उपभोक्ताओं की पहुंच ई–मेल सेवा तक है। इस संबंध में यह बताना उचित है कि भा.वा.अ.शि.प. वेब सर्वर के जरिए 14 लाख कार्य सम्पादन किए गए। यह संगठन में आई टी अंगीकरण का अच्छा संकेत है।

जैसे कि ऊपर कहा गया है कि भा.वा.अ.शि.प. का अपना वेबसाइट है जिसकी पहुंच संगठन और अन्यों तक है। उपभोक्ताओं को वर्तमान सूचना देने के लिए वेबसाइट को नियमित रूप से तैयार रखा जाता है। आगे दिए गए ग्राफ से भा.वा.अ.शि.प. के आई टी प्रभाग द्वारा दी गई प्राथमिकताओं का पता चलता है।

अप्रैल, 2010 से मार्च, 2011
के दौरान वैबसाइट का अद्यतनीकरण (अपडेटस)

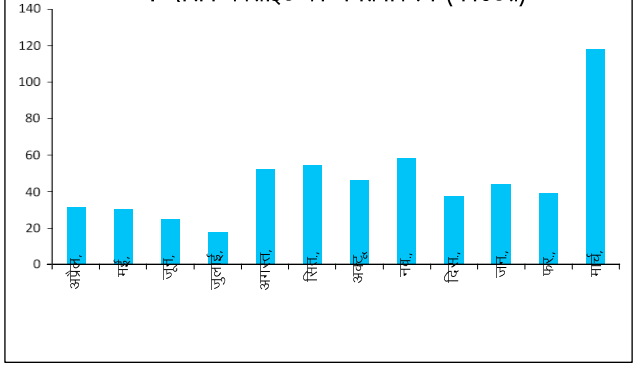

आधारित संरचना ऊपर दिखाई गई है। भा.वा.अ.शि.प. के कुछ महत्पूर्ण कार्य इस प्रकार है :

क. भारतीय वानिकी अनुसन्धान एवं सूचना पद्धति का विकास और उपयोग।

ख. देशभर में भा.वा.अ.शि.प. संस्थानों में वाइड एरिया नेटवर्क।

ग. भारत सरकार के उच्च बैंडवाइथ और अनुमाप योग्य अनुसन्धानों का संयोजन किया जा रहा है, जिसे राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क कहा जाता है।

घ. भा.वा.अ.शि.प. सर्वर फार्म (डाटा केंद्र) की स्थापना और उपयोजन।

आई एफ आर आई एस का विकास और उपयोग

आई एफ आर आई एस को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ व्यापक आई टी उपाय कार्यान्वित करने की अवधारणा दी गई है :

क. कुछ वर्तमान कार्य मैनुअल पद्धतियों को स्वचालित पद्धतियों में परिवर्तित करना।

ख. संगठन में कार्य के संदर्भ में पहुंच, क्षमता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व में वृद्धि करना।

ग. ओवरफ्लो आटोमेशन और ज्ञान प्रबंधन के द्वारा भा.वा.अ.शि.प. की क्षमता में वृद्धि करना।

घ. भा.वा.अ.शि.प. में उपभोक्ताओं और दायित्वधारियों को सूचना और सेवाओं को आसानी से उपलब्ध कराना।

परियोजना को तीन स्तरीय क्रियाकलापों में आयोजित किया गया था अर्थातः अवधारणात्मकता परियोजना विकास और सॉफ्टवेयर विकास तथा कार्यान्वयन। इस कार्य को बोली के आधार पर मेसर्स शोभा रेनीसेन्स सूचना प्रौद्योगिकी, बंगलौर को दिया गया। परियोजना कार्य जनवरी 2008 में प्रारंभ हुआ और 2009–10 से आंशिक रूप से कार्य होने लगा। आशा है कि 2010–11 से काम पूर्ण रूप से होने लगेगा।

आई एफ आर आई एस के मुख्यतः दो भाग हैं यथा : भारतीय वानिकी अनुसन्धान प्रबंधन सूचना पद्धति और भारतीय वानिकी अनुसन्धान प्रशासनिक सूचना पद्धति। आई एफ आर आई एस के कुछ मुख्य घटक इस प्रकार हैं:

क. बाह्य निधि प्राप्त परियोजनाओं सहित अनुसन्धान परियोजना डाटाबेस।

ख. अनुदान एवं अनुसन्धान प्रस्ताव।

ग. सूचनाओं / रिपोर्टों तक भूमि आधारित पहुंच।

घ. अनुसन्धान रिपोर्टों के सारांश को डाउनलोड योग्य बनाना।

च. कार्मिक सूचनाएं व वेतन रोल्स और वित्तीय एकाउटिंग पद्धति, प्रापण एवं सम्पदा सूची।

छ. केंद्रीयकृत डाटा रिपोजीटरी में सूचना की यथासमय उपलब्धता।

कार्यान्वयन में आई एफ आर आई एस की पहुंच उन मॉडलों पर केंद्रित रही है जो बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं की पहुंच में है। इस प्रकार सांस्थानिक संवृद्धि में परावर्तन डिजिटल के माध्यम से हार्ड कॉपीज द्वारा किया जा सकता है। पे–रोल प्रबंधन पद्धति एक ऐसा उदाहरण है जिसके जरिए सॉफ्टवेयर के अनुप्रयोग से पे–रोल बनाए जा सकते हैं। दूसरा उदाहरण, लीव–सब मॉडल पर खास ध्यान देते हुए निजी सूचना प्रबंधन मॉडल को सही दिशा देना है। आज हम इस विधि से छुट्टी की अर्जियों पर आनलाइन काम कर सकते हैं, जिससे समय और कागज की बचत होती है। इससे उपभोक्ता कम्प्यूटर का अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं और उपरोक्त परिवर्तन को सांस्थापित संवृद्धि में ला सकते हैं।

आंतरिक आई टी विशेषज्ञता और उपभोक्ता क्षमता वृद्धि का विकास

सांस्कृतिक परिवर्तन लाने के साथ–साथ भा.वा.अ.शि.प. ने आंतरिक ट्रबल शूटिंग विशेषज्ञता प्राप्त की है। साथ ही वर्तमान सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग को नई दिशा देकर और अधिक सुविधाजनक बनाकर उपभोक्ताओं को अधिक संतोषप्रद सेवा प्रदान की है।

परियोजना सांस्थानिक संरचना एक प्रभावशाली आधार स्तंभ है जिसके तहत भा.वा.अ.शि.प. शीर्ष समिति द्वारा नियमित रूप से बैठकें की जाती हैं और संबंधित

दायित्वधारियों को कार्यान्वयन समीक्षाओं से अवगत कराया जाता है।

ई–चैम्पियन्स, परिवर्तन कारक को प्रबंधन में परिवर्तन लाने तथा संगठन स्तर पर अनुप्रयोग अंगीकरण करने हेतु चिन्हित किया गया है। यह कार्य भा.वा.अ.शि.प. द्वारा आयोजित प्रशिक्षण/कार्यशालाओं के माध्यम से किया जाता है।

देशभर में भा.वा.अ.शि.प. के संस्थानों में विस्तृत क्षेत्र

भा.वा.अ.शि.प. के सभी संस्थान वाइड एरिया नेटवर्क के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका कार्यान्वयन मल्टीपल प्रोटोकोल लेवल स्विचिंग–वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के जरिए किया जाता है जिसे भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा मुहैया कराया गया है। भा.वा.अ. शि.प. के सभी डिजिटल डाटा कम्यूनीकेशन तीव्र इंटरनेट कनेक्टीविटी, वीडीयो कांफ्रेसिंग (संस्थानों में), डाटा प्रविष्टि और प्रतिगमन, वेबसाइट तथा ई–मेल सेवाएं उपरोक्त डब्ल्यू ए एन से कार्यान्वित होती हैं। इससे सुनिश्चित होता है कि संबंधित सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर केंद्रीकृत हैं जो डब्ल्यू ए एन के बिना संभव नहीं था।

डब्ल्यू ए एन ने भा.वा.अ.शि.प. में संचार और ई–मेल के जरिए प्रलेखीकरण एकल तथा सामुहिक रूप से विचारों का आदान–प्रदान करने डब्ल्यू ए एन के अनुप्रयोग से आपसी तालमेल बनाने आई टी उपयोजन से भा. वा.अ.शि.प. के कार्मिकों में कौशल उच्चीकरण हेतु
रुचि पैदा करने और कार्य को सरलता और तीव्रता से सम्पन्न करने में सांस्थानिक संस्कृति का विकास किया जा सकेगा। यह कार्य संस्कृति में सार्थक परिवर्तन है जो भविष्य में अधिक कारगर सिद्ध होगा।

भा.वा.अ.शि.प. के डब्ल्यू ए एन से वीडियो कांफ्रेंसिंग की जा सकती है जिससे धन और समय दोनों की बचत होती है। वर्ष 2010–11 के दौरान 200 से अधिक वीडियो कांफ्रेंस की गईं।

नीचे दिया गया रेखा चित्र वान (डब्ल्यू.ए.एन.) संस्थिति के बारे में अनुमान उपलब्ध करवाता है

भा.वा.अ.शि.प.
एम.पी.एल.एस. टोपोलॉजी

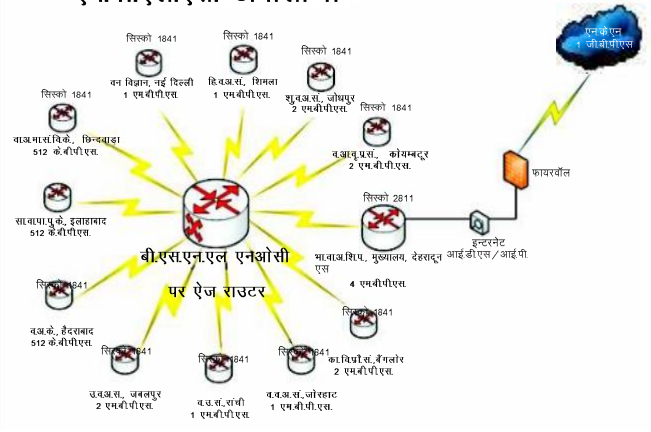

राष्ट्रीय परिचयात्मक नेटवर्क

भा.वा.अ.शि.प. ने राष्ट्रीय नॉलेज नेटवर्क से संयोजित होने का प्रयास किया जिससे उच्च और व्यापक क्षमता प्राप्त हो सकेगी तथा देश के अन्य शैक्षिक और अनुसन्धान संगठनों से उत्पादकता संयोजन की संभावना बन सकेगी। इसके अलावा एन के एन, उच्च व्यापकता प्रदान करता है जिससे इंटरनेट में अच्छी पहुंच बन सकती है और भा.वा.अ.शि.प. के विभिन्न संस्थानों को और अधिक कारगर ढंग से जोड़ा जा सकता है।

भा.वा.अ.शि.प. सर्वर फार्म (डाटा केंद्र)

भा.वा.अ.शि.प. सर्वर फार्म (डाटा केंद्र), भा. वा.अ.शि.प. द्वारा प्रदत्त आई सेवाओं का स्थल है। यह आई एफ आर आई एस अनुप्रयोग और अन्य मुख्य सेवाओं को आश्रय देता है यथा :

क. डाटाबेस तथा अनुप्रयोग सेवाएं।

ख. ई–मेल, वेब सेवाएं, डोमेन नेम सेवाएं तथा प्रॉक्सी सेवाएं।

ग. एन्टो वायरस तथा अन्य स क्षा उत्पाद ज फायरवाल्स, घुसपैठ का पता लगाना और बचाव पद्धतियां आदि।

घ. विषय विश्लेषण सेवाएं जैसे एंटी–स्पाम, एंटी. स्पाईवेयर आदि।

च. उपयुक्त डाटा बैकअप तथा नेटवर्क मॉनीटरिंग टूल्स।

इसके वास्तुशिल्प के आधार पर सेवाओं की स्थापना और मॉनीटरिंग प्रोटोकॉल को उचित स्थान दिया गया। भा.वा.अ.शि.प. डाटा केंद्र की आई एस ओ 27001–2005 प्रमाणित डाटा केंद्र और सेवाओं की स्थिति प्रदान की गई।

5.2 सेवोत्तम

सेवोत्तम संरचना में तीन घटक हैं यथा : सिटिजन चार्टर, चार्टर, जन समस्याओं को रखना और समाधान के उपाय बताना तथा हस्तांतरण क्षमता। भा.वा.अ.शि.प. नागरिकां आ ग हकां क साथ कइ तरह स विचार–विमश करतो ह आइ टो क मामल म भा.वा.अ.शि.प. वेबसाइट और ई–मेल सेवाओं खासकर अपनी ई–मेल पद्धति के जरिए (जिसे आयोजित और स्थापित किया गया है) समाधान निकाला जाता है। वेबसाइट और ई–मेल सेवाओं को वर्ष भर 24x7 के आधार पर भा.वा.अ.शि.प. के देश भर में फैले विभिन्न संस्थानों में व्यवस्थित किया जाता है।

5.2.1 विभागों और उनकी उपसंरचनाओं में चार्टर को सूत्रबद्ध करने के लिए की गई कार्रवाई

सिटीजन्स चार्टर, भा.वा.अ.शि.प.की वेबसाइट (www.icfre.gov.in) में उपलब्ध है। जनता और ग्राहकों की सूचना देने के लिए, प्रशासन निदेशालय, भा.वा.अ.शि.प. म यतः व आधारित उपाया कइ माध्यमां से सूचना प्रसारण पर आधारित रहता है जिनमें आई टी इंटरफेस, सिटीजन्स चार्टर, टूल्स के जरिए नागरिकों को उत्तर देना शामिल है जो सूचना अधिकार अधिनियम क तहत आत ह आ स ठन द्वारा आया जत काय ालाआं और सेमीनारों के जरिए प्रसारित किए जाते हैं।

भा.वा.अ.शि.प. के अधीनस्थ संघटनों में इसके देशभर में फैले क्षेत्रीय संस्थान और केंद्र आते हैं। इन संस्थानों के वेबसाइट, भा.वा.अ.शि.प. के मुख्य वेबसाइट से संयोजित हैं और सर्वर पर मौजूद हैं। भा.वा.अ.शि.प. के सभी संस्थानों का कार्य भा.वा.अ.शि.प. से संबद्ध है, इसलिए भा.वा.अ.शि.प. वेबसाइट संबद्ध सूचना देता है जो इसके सभी संस्थानों में प्रायोज्य है और साथ ही विभिन्न संस्थानों से संबद्ध सूचना भी मुहैया कराई जाती है।

5.2.2 चार्टर को कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई

ज ा कि पहल कहा गया ह कि सिटिजन्स चाट , भा.वा.अ.शि.प. की वेबसाइट में है। यह भा.वा.अ.शि.प. का विह मद य प त करता ह जिसमं इसका द ष्टका ा, मिशन, उद्देश्य, क्रियाकलाप, सेवाएं तथा सेवा मानक संबद्ध होते हैं। चार्टर में शिकायतों को दूर करने का मकेनिज्म भी दिया गया है और उन व्यक्तियों के बारे में सूचनाएं भी उपलब्ध हैं जिनके समक्ष किसी विशेष शिकायत के संबंध में सुनवाई की जा सकती है।

5.2.3 प्रशिक्षण कार्यक्रम के विवरणः उचित कार्यान्वयन चार्टर के लिए कार्यशालाएं आदि

संगठन के बारे में अपने ग्राहकों को सूचना देना सिटिजन्स चार्टर का मुख्य कार्य है। इसे प्राप्त करने के लिए भा.वा.अ.शि.प. और इसके संस्थानों द्वारा बड़ी संख्या में प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाओं आदि का आयोजन भा.वा.अ.शि.प. और संबद्ध संस्थानों में किया जाता है। इन प्रशिक्षणों और कार्यक्रमों में मुख्य इस प्रकार है :

1. अकाष्ठीय वन उत्पादों के विपणन पर कार्यशाला : समस्याओं तथा रणनीतियों पर फरवरी 2011 को उष्णकटिबंधीय वन अनुसन्धान संस्थान, जबलपुर द्वारा आयोजित कार्यशाला के लिए लक्षित वर्ग के रूप में किसान, संग्रहक, फसल उगाने वाले, संयुक्त वन प्रबंधन समिति के सदस्य, व्यवसाई और जड़ीय उत्पादों के विनिर्माता शामिल थे।
2. वन आनुवंशीय संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन पर वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन् संस्थान, कोयम्बटूर द्वारा 5 से 9 जुलाई 2010 को प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला, भा.वा.अ.शि.प, वन अन न्धान स थान, मल शया (एफ आर आइ एम), ए पी ए एफ आर आई, जैवविविधता अंतर्राष्ट्रीय तथा

अंतर्राष्टोय प्रकाष्ठ व्यापार संगठन द्वारा सह–प्रायोजित की गई।

3. व.आ.वृ.प्र.सं. ने ''जीन पृथक्करण की पी सी आर आधारित पद्धतियां'', पर 29 और 30 जुलाई 2010 को जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन, वनस्पति शास्त्र तथा संबद्ध विज्ञानों पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया। प्रशिक्षण में विभिन्न विश्वविद्यालयां आ का ं क 18 अन न्धानकता ं ने भाग लिया। इनमें भारतियार विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर, वन कालेज और अनुसन्धान संस्थान, टी एन ए यू, कोयम्बटूर, भारती दर्शन विश्वविद्यालय, तिरूचिरापल्ली, स ंट जा सफस कालज, तिरूचिरापल्ली, क ल वन अन न्धान स थान, पो चो और इन हाउस रिसर्च फेलो भी शामिल थे। प्रशिक्षण में जीन पृथक्करण पद्धतियों और कार्यस्तरीय मूल्यांकन पर सैद्धांतिक तथा प्रयोगात्मक तकनीकों, सक्षम सेल तैयार करना, क्लोनिंग और रिवर्स नॉर्दन तकनीकों का ज्ञान भी कराया गया।

क. व.आ.वृ.प्र.सं. में 27 और 28 सितम्बर 2010 को इन्सट्रूमेन्टेशन पद्धतियां और रासायनिक विश्लेषण पर गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान मेटाबोलाईट प्रोफाईलिंगः वर्तमान तकनीकों पर प्रशिक्षण मैनुअल भी अवमुक्त किया गया। विभिन्न कालेजों, संस्थानों, संगठनों और विश्वविद्यालयों यथा : आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम, श्री धरमास्थला मंजुलाथेश्वरा कालेज, मंगलौर, तमिलनाडु, कृषि विश्वविद्यालय, भारतियार विश्वविद्यालय, कोंगुनाडु आर्ट्स एवं विज्ञान कालेज, पी एस जी कालेज ऑफ आर्ट्स एण्ड साइन्स, कोयम्बटूर के 20 प्रशिक्षणार्थियों ने इस प्रशिक्षण में भाग लिया।

ख. वानिकी अनुसन्धान आवश्यकता आकलन : हिमाचल प ा राज्य म स थानीकरण को प क्रया पर दायित्वधारियों के परामर्श हेतु हिमालयन वानिकी अनुसन्धान संस्थान, शिमला में 6 अगस्त 2010 को कार्यशाला का आयोजन किया गया। दायित्वधारी के रूप में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हिमाचल प्रदेश ने भी इस परामर्श में भाग लिया।

ग. काष्ठ विज्ञान तथा तकनीकी संस्थान ने मुख्य प्रकाष्ठों की कार्यक्षेत्रीय पहचान, प्रकाष्ठ ज्वाइनरी, प्रकाष्ठ का वर्गीकरण और श्रेणीकरण, काष्ठ संरक्षण, आधुनिक बीज एवं पौधशाला तकनीकें, काष्ठ सिझाई और परिरक्षण, निष्कर्षण/शुद्धिकरण तकनीकें तथा उपकरण विश्लेषण, पादप पहचान, कार्यक्षेत्रीय पद्धतियां और उद्भिज्जालय तकनीकें, संयोजित नाशीकीट प्रबंधन, वानिकी तथा कृषि वानिकी पद्धति में सांख्यिकी का अनुप्रयोगः अवधारणाएं और कार्य अध्ययन जैसे विषयों पर 5 और 3 दिन के प्रशिक्षण कोर्सों का आयोजन किया। ये प्रशिक्षण 2005–06 से आयोजित किए जा रहे हैं।

घ. संस्थान द्वारा आर ए जी बैठक, दायित्वधारी अतःसक्रिय बठक/सम्पर्क बठक, भारतोय इटैलियन सेमीनार तथा भा.व.से. अधिकारियों के लिए प्रतिवर्ष अनिवार्य प्रशिक्षण कोर्स का आयोजन भी किया जाता है।

5.2.4 सिटीजन/क्लाईन्टस चार्टर पर किए गए प्रसार प्रयासों तथा जागरूकता अभियानों के आयोजन के विवरण।

विश्वव्यापी वेब पर उपलब्ध कराए जाने के कारण चार्टर को व्यापक प्रसार मिल गया है। इसके साथ ही भा.वा.अ.शि.प. द्वारा प्रसार और जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं जो सिटीजन्स चार्टर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक है। इस तरह के प्रयासों की उद्धरण सूची नीचे दी गई है जो अधिक विस्तृत नहीं है।

क. काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर ने अंग्रेजी, कन्नड़ और तेलगू में निम्नलिखित प्रकाशन/तकनीकी बुलेटिन तैयार किए हैं जो जनता को भुगतान आधार पर उपलब्ध है।

	ब्रोशर	भाषा
1.	सैंडल	कन्नड़
2.	टमारिंड	कन्नड़
3.	बांस	कन्नड़
4.	कैज्वारिना	कन्नड़
5.	नीम	कन्नड़
6.	यूकेलिप्टस	कन्नड़
7.	जैट्रोफा	कन्नड़
8.	मेलिना (शिवानी)	कन्नड़
9.	मोरिंगा (नग्गी)	कन्नड़
10.	अगरबत्तियां	अंग्रेजी
11.	केटामरन्स	अंग्रेजी
12.	सेंडल	अंग्रेजी
13.	काष्ठ का जैव अपघटन और भारतीय तटवर्ती जिलों में इनका परिरक्षण	अंग्रेजी
14.	सैंडल	तेलगू
15.	टमारिंड	तेलगू
16.	बांस	तेलगू
17.	कैज्वारिना	तेलगू
18.	नीम	तेलगू
19.	यूकेलिप्टस	तेलगू
20.	रेड संडर्स	तेलगू
21.	केटामरन्स	तेलगू
22.	केटामरन्स	तमिल
	तकनीकी बुलेटिन/सूचना श्रृंखला	
1.	वृक्षों और लट्ठों की वृद्धि स्टन आकलन की त्वरित और अहानिकर तकनीकें	अंग्रेजी
2.	प्रकाष्ठ में नाशीकीटों का पता लगाना, पहचान करना तथा प्रबंधन	अंग्रेजी
3.	काष्ठ सिंचाई और परिरक्षण	अंग्रेजी
4.	दक्षिण भारतीय बाजारों में मुख्य प्रकाष्ठों की मार्गदर्शिका	अंग्रेजी
5.	चंदन काष्ठ वृक्ष (कीट, बीमारियां तथा उनका प्रबंधन)	अंग्रेजी
6.	सुरभित तेल निष्कर्षण हेतु प्रहस्तन योग्य आसवन एकक	अंग्रेजी
7.	मूल्य वृद्धि के लिए नारियल के काष्ठ पर अमोनिया प्लास्टीसाइजेशन	अंग्रेजी
8.	बांस पर छोटे घेरे के प्रकाष्ठ के उपचार हेतु एस ए पी विस्थापन तकनीकें	अंग्रेजो/कन्नड़
9.	वानिकी में सफेद उड़नकीट और उनका प्रबंधन	अंग्रेजी
10.	आर्बूस्कूलर माइकोराइजल–वानिकी में जैव–उर्वरक के रूप में	अंग्रेजी
	पुस्तकें	
1.	सेंटालम एल्बम (सैंडल)	अंग्रेजी
2.	प्रकाष्ठ का जैव अपघटन और भारतीय तटीय जलों में रक्षण तीसरी प्रगति रिपोर्ट 1982–2005	अंग्रेजी
	कार्यवाहियां	
1.	वानिकी, वन एवं उत्पाद तथा तटीवर्ती आबादी	अंग्रेजी
2.	भारत में काष्ठ परिरक्षण : चुनौतियां, सुअवसर तथा रणनीतियां	अंग्रेजी
3.	वानिकी मामलों में बौद्धिक सम्पदा अधिकार	अंग्रेजी
4.	भारत में कछारी वनों का संरक्षण पुनर्स्थापन और सतत प्रबंधन	अंग्रेजी
5.	चन्दन का संरक्षण, सुधार, खेती तथा प्रबन्धन	अंग्रेजी

ख. व.आ.वृ.प्र.सं. ने विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून 2010 को किसानों के लिए अंतःसक्रिय कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें उद्योगों के प्रतिनिधियों, किसानों तथा अन्य ने भाग लिया। इस कार्यशाला में कुल 200 किसानों ने भाग लिया।

ग. व.आ.वृ.प्र.सं. 31 मई 2010 को वानिकी अनुसन्धान एवं विस्तार पर दायित्वधारियों के लिए पर्यावरण एवं वन विभाग, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह के साथ कार्यशाला का आयोजन किया जिसकी अध्यक्षता पी सी सी एफ, ए एण्ड एन द्वीप समूह द्वारा की गई। इसमें पी सी सी एफ वन्यजीव, ए पी सी सी एफ (योजना एवं विकास), सी सी एफ अनुसन्धान तथा अन्य वरिष्ठ वन अधिकारियों के साथ–साथ व.आ.वृ.प्र.सं. के अधिकारियों और वैज्ञानिकों ने भी भाग लिया।

घ. उ.व.अ.सं., जबलपुर ने भोपाल में 5 अप्रैल 2010 तथा छत्तीसगढ़, रायपुर में 23 अप्रैल 2010 को दायित्वधारियों की बैठक का आयोजन किया। संस्थान ने नागपुर (महाराष्ट्र) में भी 13 मई 2010 तथा भुवनेश्वर, उड़ीसा में 24 मई 2010 को दायित्वधारियों की परामर्शी बैठकों का आयोजन किया।

च. उ.व.अ.सं., जबलपुर फॉरेस्ट रेन्जर्स प्रशिक्षण कालेज, बालाघाट (म.प्र.) के 47 रेंज आफीसर्स प्रशिक्षणार्थियों के लिए 13 मई 2010 को भी प्रशिक्षण दिया।

छ. उ.व.अ.सं., जबलपुर ने वर्मीकम्पोस्ट/जैव उर्वरकों पर बिलासपुर, नर्सरी, बिलासपुर में 17 और 18 मई 2010 को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, बिलासपुर के प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया।

ज. उ.व.अ.सं., जबलपुर वन विद्यालय गोविन्दगढ़, जिला रेवा (म.प्र.) के प्रशिक्षु फोरेस्ट गार्ड (39) को 18 मई 2010 को प्रशिक्षण दिया।

झ. उ.व.अ.सं., जबलपुर वन विद्यालय, बेतुल (म. प्र.) के फॉरेस्ट गार्ड्स (86) को 24 मई 2010 को प्रशिक्षण दिया।

ट. उ.व.अ.सं., जबलपुर नर्सरी तकनीकों में आधुनिक प्रगति पर 27 से 29 मई 2010 को छत्तीसगढ़ के वन कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया।

ठ. व.व.अ.स., जारहाट न असम, मघालय, अरूणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों के लिए वन स्कूल झालुककाबेरी, गुवाहाटी में 31 मार्च 2010 को दायित्वधारियों की बैठक 2010 का आयोजन किया। मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों के लिए स्टेकहोल्डर्स की बैठक 2010 का आयोजन 3 जून 2010 को पी सी सी एफ कार्यालय, ऑइजॉल, मिजोरम तथा पी डब्ल्यू डी सम्मेलन कक्ष में, अगरतला, त्रिपुरा में 7 जून 2010 को किया गया। नागालैण्ड और मणिपुर के दायित्वधारियों की बैठक 29 जून 2010 को पी सी सी एफ कार्यालय, कोहिमा, नागालैण्ड में आयोजित की गई।

ड. शु.व.अ.सं., जोधपुर ने जलवायु परिवर्तन की समस्याएं : आवश्यकताएं, सुअवसर तथा खामियों, पर अनुसंधान आवश्यकताओं वित्तीय, तकनीकी और क्षमता आवश्यकताओं और बाधाओं पर विचार करने के साथ–साथ भारत के शुष्क क्षेत्र में वन उत्पादों पर विचार–विमर्श करने के लिए 14 जून 2010 को एक दिवसीय अंतःसक्रिय बैठक का आया न किया। भारतीय वानस्पतिक सव ाण विभाग, जंतु विज्ञान सर्वेक्षण विभाग, रेगिस्तानी औषधि अनुसन्धान केंद्र, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसन्धान संस्थान, रक्षा अनुसन्धान और विकास संगठन, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, राज्य वन विभाग, कृषि अनुसन्धान केंद्र, एन जी ओ तथा अन्य विभागों के प्रतिनिधियों ने ए एफ आर आई के अधिकारियों तथा वैज्ञानिकों के साथ बैठक में भाग लिया। सत्र की अध्यक्षता डॉ. ए एस फरोदा, से.नि. निदेशक, सी ए जेड आर आई, जोधपुर द्वारा की गई।

ढ. व.उ.सं., रांची ने झारखण्ड राज्य में 25 मई 2010 को संस्थान में दायित्वधारियों की बैठकों का आयोजन किया। बैठक में 32 व्यक्तियों ने भाग लिया जिनमें राज्य के विभिन्न दायित्वधारी शामिल थे।

त. व.उ.सं., रांची ने 15 जून 2010 को पटना, बिहार में दायित्वधारियों की बैठक का आयोजन किया जिसमें राज्य क विभिन्न दायित्वधारिया सहित 29 लोगों ने भाग लिया।

थ. व.उ.सं., रांची, यू एन डी पी प्रकोष्ठ की टीम ने जनुमपीरी, बारी तथा कोटना गांव के किसानों के लिए कार्यक्षेत्रीय प्रदर्शन–प्रशिक्षण देने के लिए

6 जुलाई 2010 को झारखण्ड के खूंटी जिले में परियोजना स्थलों का दौरा आयोजित किया।

द. व.उ.सं., रांची ने रांका ब्लाक, गरवा जिला (झारखण्ड) में 16 और 17 जून 2010 को वैज्ञानिक पद्धति से लाख की खेती पर दो दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जिसमें 185 किसानों और खेतीकारकों ने भाग लिया।

ध. व.अ.सं., देहरादून ने वन रोपण तकनीकों पर टेरीटोरियल आर्मी ईको टास्कफोर्स के अधिकारियों, जे सी ओ तथा एन सी ओ के लिए 20 से 23 अप्रैल 2010 तक चार दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जिसमें टेरीटोरियल आर्मी के 39 कार्मिकों ने भाग लिया।

न. व.अ.सं., देहरादून ने *लैन्टाना कमारा* से हाथ से बनाए गए कागज के बारे में 7 से 11 जून 2010 तक पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यक्रम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा *लैन्टाना कमारा* की आर्थिक क्षमता का उपयोग नामक परियोजना के तहत प्रायोजित किया गया था। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में देश के विभिन्न भागों से 12 भागीदार शामिल हुए। प्रशिक्षण कोर्स के दौरान भागीदारों को *लैन्टाना कमारा* के उपयोग से कागज विनिर्माण में उच्च आमदनी प्राप्त करने का प्रशिक्षण दिया गया।

प. व.अ.सं., देहरादून ने बीज संग्रह भण्डार और रोपण पर 28 से 30 जून 2010 तक वी वी के, होशियारपुर में वानिकों और किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

5.2.5 संगठन में आंतरिक और बाह्य चार्टर के कार्यान्वयन का विवरण तथा नागरिकों/ग्राहकों में संतुष्टि के स्तर का आकलन

चार्टर को अधिदेश के मानकों के अनुरूप अधिक समरूप बनाने के लिए आंतरिक रूप से मूल्यांकित और सम्पादित किया जा रहा है।

5.3 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ावर्ग/अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कल्याणकारी उपाय

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ावर्ग/अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण पर भा.वा.अ.शि.प. ने विशेष ध्यान दिया है। परिषद् के विभिन्न केंद्रों द्वारा अपनाए गए कल्याणकारी उपायों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं :

क. भा.वा.अ.शि.प. के अनुसूचित जाति/जनजाति/ अन्य पिछड़ावर्ग के लिए सचिव, भा.वा.अ.शि.प. के आदेश सं. 63–37/2010–भा.वा.अ.शि.प. दिनांक 23 फरवरी 2011 के तहत शिकायत दूर करने हेतु प्रकोष्ठ खोला गया। उपमहानिदेशक (शिक्षा) इसके मुख्य सम्पर्क अधिकारी होंगे। एक वैज्ञानिक भी सम्पर्क अधिकारी अनु. जाति के लिए काम करेगा। एक उप वन संरक्षक ओ बी सी के लिए सम्पर्क अधिकारी के रूप में काम करेगा। लेखा नियंत्रक जनजाति के लिए सम्पर्क अधिकारी होगा। इन सभी प्राधिकारियों को नाम लिखकर कार्य सौपा गया है।

ख. वष 2010–11 क दारान अन सचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ावर्ग के लिए शिकायत निपटान प्रकोष्ठ की चार अंतःसक्रिय बैठकें भा.वा.अ.शि.प., देहरादून में आयोजित की गई। भा.वा.अ.शिप. में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ावर्ग के कर्मचारियों के कल्याण हेतु कई निर्णय लिए गए।

ग. अन चत जाति/अन चत जनजाति/ पिछड वग के आफिस बियरर की बैठक भा.वा.अ.शि.प. और वन अनुसन्धान संस्थान में 5 अप्रैल 2010 को आयोजित की गई।

घ. भा.वा.अ.शि.प. और उसके संस्थानों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ावर्ग की श्रेणी अनुसार सूची तैयार की गई।

च. भा.वा.अ.शि.प. के संस्थानों में अनुसूचित जाति/अन सचित जनजाति/पिछडावर्ग की कल्याण समिति अभिकल्पित की गई है और सम्पर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

छ. अन सचित जाति/अन सचित जनजाति/ पिछड़ावर्ग कल्याण समिति के पदाधिकारियों का निर्वाचन भा.वा.अ.शि.प. मुख्यालय में 5 अप्रैल 2010 को किया गया।

ज. रोस्टर बनाने, शिकायतें दूर करने, राजीनामा प्रक्रिया, सम्पर्क अधिकारी के कर्तव्य भारत सरकार के आरक्षण संबंधी आदेशों/निर्देशों का पालन

करने और अन्य संबंधित विषयों पर 30 और 31 अगस्त 2010 को अधिकारियों/कार्मिकों के लिए दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

झ. शिकायत निपटान प्रकोष्ठ त्रैमासिक बैठक (अप्रैल– जून 2010) 30 जून 2010 को भा.वा.अ.शि.प. मुख्यालय में आयोजित की गई।

ट. भा.वा.अ.शि.प. के शिकायत निपटान प्रकोष्ठ की दूसरी तिमाही (जुलाई–सितम्बर 2010) की बैठक 9 सितम्बर 2010 को भा.वा.अ.शि.प. मुख्यालय में आयोजित की गई।

ठ. भा.वा.अ.शि.प. के शिकायत निपटान प्रकोष्ठ की तीसरी तिमाही की (अक्टूबर–दिसम्बर 2010) की बैठक 24 दिसम्बर 2010 को भा.वा.अ.शि.प. मुख्यालय में आयोजित की गई।

ड़. भा.वा.अ.शि.प. के शिकायत निपटान प्रकोष्ठ की चौथी तिमाही की (जनवरी–मार्च 2011) की बैठक 28 मार्च 2011 को भा.वा.अ.शि.प. मुख्यालय में आयोजित की गई।

व.आ.वृ.प्र.सं., कोयम्बटूर द्वारा योन उत्पीड़न के विरुद्ध जागरूकता पर 19 नवम्बर 2010 को बैठक का आयोजन किया और योन उत्पीड़न पर शिकायत समिति का गठन किया गया।

लोक सूचना अधिकरी द्वारा आर टी आई एक्ट पर जागरूकता व्याख्यान दिया गया।